**संख्या:-01/2024/आई463816/001-443आ0-23-5002-099-4-2023**
**(कम्प्यूटर संख्या-1773039)**

प्रेषक,

नीरजा सक्सेना,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता(परि0/नियो0),
लो0नि0वि0, लखनऊ उ0प्र0।

**लोक निर्माण अनुभाग:-5** **लखनऊ: दिनांक 05 जनवरी, 2024**

विषय: चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान सं0-55 के राजस्व लेखा में लेखाशीर्षक 2216-01-700-05-00-29 "आवासीय भवनों का अनुरक्षण" के अन्तर्गत जनपद बलिया के 06 विशेष मरम्मत कार्यों हेतु अवशेष धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-211बीजीबीजी/लैप्स/आवासीय/2023-24, दिनांक 21.12.2023 एवं पत्र सं0-1068बीजीबीजी/लैप्स/आवासीय/2023-24, दिनांक 13.12.2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान सं0-55 के राजस्व लेखा मद के अन्तर्गत जनपद बलिया के 06 विशेष मरम्मत कार्यों हेतु स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि में से **रू0 70.86 लाख(रू0 सत्तर लाख छियासी हजार मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

| क्र0 सं0 | शासनादेश संख्या व दिनांक | कार्य का नाम | योजना वार स्वीकृत धनराशि | बचत की धनराशि | आवंटन हेतु कुल धनराशि | गत वर्ष में आवंटित धनराशि | व्यय की गयी धनराशि | गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में लैप्स धनराशि | समर्पण/लैप्स के समायोजन के उपरान्त आवंटन हेतु अवशेष धनराशि | निर्गत की जाने वाली धनराशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | (धनराशि लाख रू0 में) | | | | | |
| 1 | 79/2023/001-156आ0-23-5-23-07(भवन)/2023टी सी-2, दिनांक 30.03.2023 | बलिया के पूल्ड हाउसिंग योजना के अन्तर्गत निर्मित ई-टाइप आवास सं0-ई-01 से 18 के विशेष मरम्मत का कार्य। | 20.16 | 0.03 | 20.13 | 16.00 | 0.19 | 15.81 | 19.94 | 15.81 |
| 2 | तदैव | बलिया के पूल्ड हाउसिंग योजना के अन्तर्गत निर्मित ई-टाइप आवास सं0-ई-19 से 36 के विशेष मरम्मत का कार्य। | 21.64 | 0.02 | 21.62 | 17.00 | 0.19 | 16.81 | 21.43 | 16.81 |
| 3 | तदैव | बलिया के पूल्ड हाउसिंग योजना के अन्तर्गत निर्मित ई-टाइप आवास सं0-ई-49 से 56 के विशेष मरम्मत का कार्य। | 13.24 | 0.02 | 13.22 | 11.00 | 0.19 | 10.81 | 13.03 | 10.81 |
| 4 | तदैव | बलिया के पूल्ड हाउसिंग योजना के अन्तर्गत निर्मित एफ-टाइप आवास सं0-01 से 06 के विशेष मरम्मत, | 08.29 | 0.01 | 08.28 | 07.00 | 0.19 | 06.81 | 08.09 | 06.81 |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | रंगाई-पुताई का कार्य। | | | | | | | | |
| 5 | तदैव | बलिया के पूल्ड हाउसिंग योजना के अन्तर्गत निर्मित एफ-टाइप आवास सं0-एफ-07 से 14 के विशेष मरम्मत का कार्य। | 09.75 | 0.01 | 09.74 | 08.00 | 0.19 | 07.81 | 09.55 | 07.81 |
| 6 | तदैव | बलिया के पूल्ड हाउसिंग योजना के अन्तर्गत निर्मित ई-टाइप आवास सं0-ई-37 से 48 के विशेष मरम्मत का कार्य। | 16.02 | 0.02 | 16.00 | 13.00 | 0.19 | 12.81 | 15.81 | 12.81 |
| **योग :-** | | | **89.10** | **0.11** | **88.99** | **72.00** | **01.14** | **70.86** | **87.85** | **70.86** |

**नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों -**

(1) प्रश्नगत चालू कार्य हेतु आवंटित धनराशि का व्यय/उपयोग वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्यों के सपंरिक्षित लेखा निर्धारित समयावधि में कार्यालय महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध करा दिया जाय।

(3) उपरोक्त परियोजना के सम्बन्ध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल शासनादेश की शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेंगे।

(4) समस्त धनराशि का आहरण-वितरण सम्बन्धी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं सम्बन्धित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व डी0डी0ओ0 कोड आवंटन विषयक वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

(5) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय से पूर्व उपर्युक्त परियोजनाओं के सम्बन्ध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल शासनादेशों एवं यथा पुनरीक्षित शासनादेशों की शर्तों तथा उक्त के सम्बन्ध में वित्त विभाग के समस्त सुसंगत शासनादेशों की शर्तों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रू0 70,86,000(रूपये सत्तर लाख छियासी हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-55 लेखाशीर्षक 2216017000500 सामान्य एवं विशेष मरम्मत-मानक मद 29 अनुरक्षण के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17.03.2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधनित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,
नीरजा सक्सेना
संयुक्त सचिव।

**..../03..**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

**संख्या:-01/2024/आई463816/001-443आ0(1)-23-5-2023, तददिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार(लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0।
4- नोडल अधिकारी(बजट), लो0नि0वि0, उ0प्र0 शासन।
5- जिलाधिकारी बलिया।
6- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, उ0प्र0 लखनऊ।
8- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, बलिया।
10- मुख्य अभियन्ता(भवन), लो0नि0वि0, लखनऊ।
11- मुख्य अभियन्ता, आजमगढ़ क्षेत्र, लो0नि0वि0, आजमगढ़।
12- अधीक्षण अभियन्ता, बलिया वृत्त, लो0नि0वि0, बलिया।
13- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, बलिया।
14- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनु0-8/लो0नि0अनु0-10/श्रम अनु0-2/गार्ड बुक।

आज्ञा से,
अभय प्रताप श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।